राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्वेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2021/ 4863 जयपुर, दिनांक : 10/2/2021

आयुक्त,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– अम्बेडकर पुरस्कारों के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों का वितरण किया जावेगा। अतः संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एव दैनिक भास्कर के राजस्थान से प्रकाशित सभी संस्करणों में डीआईपीआर द्वारा निर्धारित साईज में डी पी आर द्वारा निर्धारित दरों पर प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार मय सीडी।

भवदीय

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2021/ 4864–68 जयपुर, दिनांक : 10.2.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त निदेशक(आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. सहायक निदेशक विज्ञापन प्रशाखा डीआईपीआर राजस्थान जयपुर।
3. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यावास को विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु।
4. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यावास को दो अतिरिक्त प्रतियों में।
5. स्टोर कीपर, मुख्यावास।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2020/ 4869 जयपुर, दिनांक : 10.2.2021

# विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2021 दिये जाने है, अतः निम्न पुरस्कारो के लिए प्रस्ताव मय जिला कलेक्टर की अभिशंषा के आमंत्रित किये जाते हैं।

| क.सं | पुरस्कार | क्षेत्र | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार | 1. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।<br>2.जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र।<br>3.संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो।<br>4.सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हों।<br>5.संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो। | 1.00 लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र |
| 2 | अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार | 1.राजस्थान की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।<br>2.जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र।<br>3.संस्था/महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो।<br>4.महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हों।<br>5.संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये हो। | 51,000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र |
| 3 | अम्बेडकर न्याय पुरस्कार | 1.राजस्थान का मूल निवासी हो।<br>2.जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र।<br>3. अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव।<br>4.अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। | 51,000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र |

नोट : आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय साामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 10.3.2021 तक डाक से अथवा व्यक्तिशः जमा कराए जा सकते है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गत वर्षो मे पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www. sje. rajasthan. gov. in एंव जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष न0 0141–2220194 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

c:\users\ad sir\desktop\desktop\ambedkar jayanti - copy.docx